



The Jharkhand State Financial Educational Institutions (Grants) Act, 2004

Act No. 04 of 2004

Amendment appended: 04 of 2008

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 200

15 अगस्त, 1926 शताब्द

रविवार, मंगलवार 6 जुलाई, 2004

विधि (विधान) विभाग ।

अधिसूचना

5 जुलाई, 2004

संख्या-एल०जी०-18/2003-18/लोज०-झारखण्ड विधान-सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 25 जून, 2004 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड राज्य विस्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004

[झारखण्ड अधि०, 04, 2004]

झारखण्ड राज्य में और अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पात्रता, शर्तों तथा प्रक्रिया के निर्धारण हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के पञ्चषष्ठे वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विस्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह ऐसी तिथि की प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी तथा तदनुसार किसी भी उपबंध के संबंध में हमारे ध्यान के प्रति किसी भी निर्देश का उर्थ इस अधिनियम से प्रति निर्देश के रूप में लगाया जा सकेगा, जिसको वह उपबंध प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएँ—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विधेयक में—

- (क) "अनुदान" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था को दी गयी कोई भी सहायता ।
- (ख) "अनुदान प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है ऐसी कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, जो राज्य सरकार से अनुदान अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है ।
- (ग) "अधिविद्य परिषद्" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापित अधिविद्य परिषद् ।
- (घ) "प्रतिकारात्मक भत्ता" से अभिप्रेत है ऐसे वैयक्तिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए दिया गया कोई भत्ता, जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो, जिसमें कर्तव्य पालन किया जाय और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा, किन्तु कोई सत्कार भत्ता या भारत के बाहर किसी भी स्थान तक या से निःशुल्क यात्रा अनुदान सम्मिलित नहीं होगा ।
- (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के ऐसे वर्ग के संबंध में, जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी ।
- (च) "शिक्षा निदेशक" से अभिप्रेत है—
- स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और तत्समान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में, जो तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न हैं, निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक या इनसे उपर के अधिकारी ।
 - इंटर महाविद्यालय तथा उच्च विद्यालय के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक या इनके ऊपर के अधिकारी ।
 - प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के संबंध में, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक या इनसे उपर के अधिकारी ।
- (छ) "क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक", "जिला शिक्षा पदाधिकारी" एवं "जिला शिक्षा अधीक्षक" से अभिप्रेत है ऐसे शिक्षा के प्रभारी जो राज्य सरकार द्वारा उन पदों पर अधिसूचित किए गए हों ।
- (ज) "शैक्षिक सोसाइटी" या "शैक्षिक एजेंसी" से अभिप्रेत है पात्र गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था को स्थापित या अनुसूचित करने के लिए अनुदान कोई न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों का निष्कार ।
- (झ) "कर्मचारी" में पात्र संस्था में कार्य करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है ।
- (ञ) "विद्यमान संस्था" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के प्रारंभ के पूर्व स्थापित और ऐसे प्रारंभ के समय इस रूप में चल रही कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था ।
- (ट) "संस्था का प्रभान" से अभिप्रेत है किसी संस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रधान शैक्षणिक अधिकारी ।
- (ठ) "संस्था" में किसी शैक्षणिक संस्था से संबंधित सभी चल और अचल संपत्तियाँ सम्मिलित है ।
- (ड) "अनुदान अनुदान" से अभिप्रेत है किसी संस्था को दिया गया ऐसा आवसी सहायता अनुदान, जिसका देसे अनुदान के रूप में माने जाने का निर्देश राज्य सरकार सचिव या विशेष आदेश द्वारा दे ।
- (ड) "प्रबंध" या "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है, किसी संस्था के संबंध में नियम के अधीन गठित प्रबंध समिति और इसमें सचिव या किसी भी नाम से उपाधीक्षक कोई ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें संस्था के प्रभान और संचालन करने की प्राधिकार निहित किये जाये ।

- (ग) "गैर सरकारी शैक्षिक संस्था" से अभिप्रेत है ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी शैक्षिक विशिष्टता अधिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित की गई और चलायी जाती हो या जो राज्य में लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए कार्य कर रही हो और जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण को न तो स्वामित्वधीन हो और न इसके द्वारा प्रबंधित ।
- (घ) "मान्य संस्था" से अभिप्रेत है कठिका-3 में उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाला शैक्षणिक संस्थान ।
- (ङ) 'वेतन' में किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियाँ हैं जिनमें उसे तत्समय संदेय महंगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है, किन्तु प्रसिकारात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है ।
- (च) "मंजूरी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर, का अनुदान मंजूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ।
- (छ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की सरकार ।
- (ज) 'अध्यापक' से अभिप्रेत है, कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक या किसी गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसंधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अभिहित कोई अन्य व्यक्ति और इसमें संस्था का प्रधान सम्मिलित है; और
- (झ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय ।
- (ञ) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य वितरित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004,

अध्याय-2

3. अनुदान प्राप्ति हेतु पात्रता :

- (क) इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व शैक्षणिक संस्था राज्य सरकार द्वारा गैर अनुदानित है तथा सरकारीकरण की अपेक्षा नहीं रखता हो ।
- (ख) यदि शैक्षणिक संस्था गैर अनुदानित इंटर स्तरीय महाविद्यालय है तो,
- (i) झारखण्ड अधिविद्य वर्ष से स्थायी प्रसूचीकृति प्राप्त कर चुका हो ।
- (ii) रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा प्रथम अनुदान प्राप्ति के बाद वाले वित्तीय वर्ष तक सोसाइटी या ट्रस्ट से संचालित होने लगे ।
- (iii) महाविद्यालय को शैक्षिक विकास विधित मंडित हो ।
- (iv) झारखण्ड अधिविद्य वर्ष के अधिनियम तथा इसके परिनियमों, नियमों तथा राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करता हो ;
- (v) विहित प्रथम में आवेदन नियम में यथाविहित प्रक्रिया पूरा करने के उपरान्त झारखण्ड अधिविद्य वर्ष के माध्यम से विनिर्दिष्ट समय पर मान्य संसाधक विकास विभाग में जमा किया गया हो ।
- (vi) विद्यार्थियों की संख्या नियम में यथाविहित संख्या से अनुपूरण नहीं हो ।
- (ग) यदि शैक्षणिक संस्थान गैर-अनुदानित स्नातक स्तरीय है तो,

- (ix) कोई नया पाठ्यक्रम, कक्षा अनुभाग, विषय, संकथन या कोई परिमोडना प्रारंभ करने के लिए कोई भी अनुदान तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गयी हो ।
- (x) प्रबंध समिति/संचित बचतों को संचालित करते हुए अपनी अन्य का कोई भी भाग वैसे नहीं खर्च करेगा जो संस्था में हित के विरुद्ध हो ।
- (xi) निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए संस्था को प्रबंधन को अनुदान दिया जा सकेगा और उसके लिए अधिकार के रूप में राखा नहीं किया जाएगा ।
- (xii) सहायता की रकम सामान्यतः प्रबंध समिति के सचिव को दी जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में और लेखाचक्र किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम, शिक्षा निदेशक द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को दी जा सकेगी ।
- (xiii) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि किसी भी प्रकार के कोई कारण समनुदेशित किए बिना अनुदान को बन्द, कम या उपान्तरित कर सकेगी ।
- (xiv) अनुदान या उससे सृजित कोई भी चल या अचल सम्पत्ति का उपयोग ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए वह मंजूर की गयी थी, से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (xv) वित्तीय वर्ष के अन्त में आवशेष राशि प्रतिवर्ष 31 मार्च को या उसके पहले विभाग/सरकार को अर्पित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह देय सहायता की अगली किस्त में समाभोजित किया जाएगा ।
- (xvi) संस्था बसूल की गयी विभिन्न प्रकार के शुल्कों के लिए विद्यार्थीवार माँग और संग्रहण रजिस्टर रखेगी ।
- (xvii) कोई भी सहायता अनुदान ऐसी संस्था को अनुज्ञेय नहीं होगा जो लेखा परीक्षक/निरीक्षक से बचती है या लेखा परीक्षण/निरीक्षण पदाधिकारी के साक्ष सहयोग करने में विफल रहती है ।
- (xviii) संस्था के सचिव या प्रबंध समिति से सम्बन्ध रूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति सहायता अनुदान प्राप्त करने समय विहित प्रारूप में एक कन्वन्शन् तीन प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
- (xix) संस्था ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित करे ।

अनुदान के लिए प्रक्रिया :

(1) अनुदान चाहने वाली औद्योगिक संस्था, विहित प्रपत्र में अपना आवेदन, यथा विनिर्दिष्ट तिथि तक संबंधित शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी । विनिर्दिष्ट तिथि तक शिक्षा निदेशक, अपने द्वारा नाम निर्देशित की जाने वाली समिति द्वारा पैन्ल निरीक्षण के लिए आदेश करेगा और ऐसी समिति को विहित प्रपत्र में अपना रिपोर्ट यथा विनिर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत करने का निर्देश देगा । पैन्ल निरीक्षण रिपोर्ट की सूची शिक्षा निदेशक की लेखा शाखा के प्रधान द्वारा की जाएगी । पैन्ल निरीक्षण समिति द्वारा समय-समय पर अनुसूचित संस्थाओं की सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी । ऐसी रिपोर्ट सम्बन्ध सूची का प्रस्ताव अनुदान समिति के समक्ष रख दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (i) प्रशासनिक विभाग या सचिव अध्यक्ष
- (ii) संबंधित निदेशक सदस्य सचिव
- (iii) वित्त विभाग का प्राधिकारी सदस्य

- (2) संबंधित शिक्षा विशेषज्ञ विनीय वर्ष में उपर्युक्त अनुदान के लिए उपलब्ध हो सकने वाली राकम की सूचना उपर्युक्त समिति को, जब वह सहायता अनुदान के आवेदनों पर विचार करने के लिए बैठक करे, देना।
- (3) यदि मूल बजटरीय उपबंध से अधिशेष राशि उपलब्ध होगी तो सरकार इस आशय की सूचना संबंधित निर्देशक को देगी।
- (4) अनुदान की मात्रा छात्रों की संख्या के आधार पर अनुदान समिति की अनुशंसा पर निर्धारित करेगी और अंतिम रूप से इतनी हो सकेगी जिसकी सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

7. **अनुरक्षण या आवर्ती अनुदान को अंतिम रूप दिया जाना**--पहले से आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रही संस्था पूर्व वर्ष के अनुदान को अंतिम रूप देने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत करेगी -

- (i) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित संस्था के मामले में ऐसा आवेदन जिला शिक्षा प्रदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत किया जाएगा जो उनकी सेवीया संस्था के मूल अभिलेखों के प्रतिनिर्देश आधार पर करेगा और प्रत्येक पर पर अपनी स्पष्ट सिफारिश के साथ संबंधित निर्देशक को अनुदान को अंतिम रूप देने के लिए अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक सेवीयित आवेदन जमा करेगा।
- (ii) यदि संस्था निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो उपर्युक्त प्राधिकारी दो महीने तक के विलंब को माफ कर सकेंगे और दो महीने से अधिक का विलंब सरकार द्वारा माफ किया जा सकेगा।
- (iii) इंटर महाविद्यालयों के आवेदन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के माध्यम से निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के पास निर्धारित तिथि तक जमा किया जा सकेगा।
- (iv) स्नातक स्तरीय एवं समकक्ष महाविद्यालयों, बिनाके पाठ्यक्रम (तकनीकी शिक्षा को छोड़कर) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अपना आवेदन संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से निर्देशक, उच्च शिक्षा के पास निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे।

8. **वार्षिक आवर्ती अनुदान का निर्धारण**--

- (i) वार्षिक आवर्ती अनुदान अगले वर्ष में सूत्रेय अनुदान से समायोजित के अधधीन होगा।
- (ii) अनुमोदित व्यय का परिनिर्धारण इन नियमों और ऐसे अन्य अनुदेशों, जो समय-समय पर जारी किए जायें, के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) मात्रता की शर्तों को पूरा करने वाली संस्थाओं को अनुदान प्राप्ति के लिए वर्गीकरण विद्यार्थियों की संख्या, महिला संस्थाओं एवं मूक धंधर, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा शिक्षाजोगों की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अलग-अलग किया जाएगा।
- (iv) वर्गीकृत पात्र शैक्षणिक संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान की राशि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित कर सकेंगी।

9. **आवर्ती अनुदान का दावा** :-

- (i) अनुदान का दावा सिमा निर्देशक द्वारा, जसू विनीय वर्ष के अख्त प्रावधान के पोतर, पहले से सहायता अनुदान की सूची में सम्मिलित संस्था को निवधित रूप से मंजूर किया जा सकेगा।
- (ii) यदि किसी भी संस्था न 31 मार्च का समाप्त हुए 12 महीनों के दौरान 200 से कम विद्यार्थियों के लिए कार्य किया है तो नियमों के अधधीन देय वार्षिक अनुदान में से अनुधार्थिक कमी की जा सकेगी।

10. अनावर्ती अनुदान :-

- (क) अनावर्ती अनुदान कुल अनुमोदित और वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा ।
- (ख) अनावर्ती अनुदान भवन (छात्रावासों सहित) के निर्माण, परामर्श और विस्तार के लिए, फर्निचर और उपकरण के क्रय के लिए और पुस्तकालय-पुस्तकों के क्रय के लिए एवं अन्य ऐसे मद जिसे सरकार उचित समझे, के लिए दिया जा सकेगा ।
- (ग) सभी मामलों में मंजूरी की गयी राशि विमुक्त करने के पूर्व या करते समय अधाधिकारित बन्धक खिलेख निष्पादित किया जाएगा और पंजीकृत कराया जाएगा ।

11. अनुदान की रोक, कमी या निलंबन :-

- (i) अनुदान, मंजूरी प्राधिकारी के विवेकानुसार रोके जाने, कम किए जाने या निलंबित किए जाने के बाधितवाधीन होगा । यदि उसकी राय में प्रबंधन किन्हीं भी शर्तों का पूरा करने या पालन करने में या इन नियमों में प्रणालित किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में या संस्था का कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में विफल रहा है, परन्तु इस नियम के अधीन कोई भी ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व प्रबंधन को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों और प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताये का अवसर दिया जाएगा ।
- (ii) संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या नियम द्वारा निर्धारित संख्या से कम हो जाने पर अनुदान नहीं दिया जाएगा ।
- (iii) शैक्षिक संस्थान के छात्रों का प्रीक्षाफल 40 प्रतिशत से कम होने पर अनुदान रोक दिया जाएगा ।
- (iv) महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या किसी विषय विशेष में, नियम द्वारा निर्धारित संख्या से कम होने पर, राजकीय अनुदान से उस विभाग के शिक्षकों तथा कर्मचारियों पर व्यय नहीं किया जाएगा ।

12. अनुदान की रोक, कमी या निलंबन के विरुद्ध अप्पेाल :-

अनुदान को रोकने, कम करने या उसका निलंबन करने के आदेश के विरुद्ध प्रबंध समिति उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर राज्य सरकार को अप्पेाल देकर सकता है । अप्पेाल प्राप्ति के तीन माह के भीतर स्पष्ट आदेश पारित कर निष्पादित किया जाएगा ।

13. लेखे और संपरीक्षा :-

- (क) वह संस्था जिसे अनुदान दिया गया है, सभी स्रोतों से आय एवं व्यय का लेखा नियम द्वारा अधाधिकारित तरीके से रखेगी ।
- (ख) संस्था को लेखे की वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट आर्टिड एकाउन्टेन्ट या किसी भी प्राधिकृत संपरीक्षक द्वारा सायब्य रूप से तैयार की जाएगी ।
- (ग) संस्था के लेखे तथा लेखा रिपोर्ट सरकार या शिक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों, स्वाधीय निधि संपरीक्षा विभाग और महालेखाकार के समक्ष निरीक्षण एवं संपरीक्षा के लिए पेश किया जाएगा ।

14. संस्था का निरीक्षण :

संस्था के कार्य कलापी पर समय पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की दृष्टि से शिक्षा निदेशक/राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी को पूर्व नोटिस के बिना किसी भी संस्था को या उसके किसी भी भाग का निरीक्षण कर सकेगा तथा संस्था ऐसे निरीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध करायेगी।

15. अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन :-

अचल संपत्ति का अन्तरण राज्य सरकार की पूर्वनिमित्त से किया जाएगा। इस हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तर्किए होंगी-

- (क) अचल संपत्ति का वर्णन।
- (ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।
- (ग) क्रय/निर्माण का वर्ष।
- (घ) क्रय/निर्माण की लागत।
- (ङ) वर्तमान मूल्य।
- (च) संपत्ति का क्रय/निर्माण करने के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की रकम।
- (छ) अन्तरण के लिए कारण।
- (ज) अन्तरण की प्रकृति।
- (झ) किसको अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, और
- (ञ) भौंगी गयी अन्य सूचनाएँ, यदि कोई हों।

16. नियम बनाने की शक्ति :- राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

17. कठिनाई दूर करने की शक्ति :- यदि इस अधिनियम के उपबंध अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, उस कठिनाई को दूर करने हेतु ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति :-


- (i) बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 (अद्यतन संशोधित) की धारा-19 की उपधारा 'क' को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (ii) झारखण्ड राज्य वितरहीन शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अध्यादेश 2003 (झा० अध्यादेश 1, 2004) को इस अधिनियम द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (iii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त अधिनियम या उपरोक्त अध्यादेश द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो वह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

आरक्षण पत्र राज्यपाल के आदेश से,

तारकेश्वर प्रसाद,


सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्श,

झारखण्ड, राँची।



68

126



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 197

23 फाल्गुन, 1929 शकाब्द

पौषी, बृहस्पतिवार 13 मार्च, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 मार्च, 2008

संख्या एल०जी०-18/2003-24/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 11 मार्च, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) अधिनियम, 2007

[झारखण्ड अधिनियम 04, 2008]

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम 2004 (झारखण्ड अधिनियम 04, 2004) के संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । -

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।
- (ii) यह उसी तिथि अर्थात् 5 जुलाई, 2004 से प्रवृत्त होगा, जिस तिथि से झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 प्रवृत्त है ।
- (iii) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2004 का धारा-3 में प्रतिस्थापन । -

उक्त अधिनियम की धारा-3 की अपाठ (ग) (iv) में निम्न परिच्छेद -

"महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की कडिका-2 (एफ) में पंजीकृत हो अथवा अनुदान प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पंजीकृत हो जाए ।"

निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

"महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की कडिका-2 (एफ) में पंजीकृत हो अथवा अनुदान प्राप्ति के चार वर्षों के अन्दर पंजीकृत हो जाए ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना
13 मार्च, 2008

संख्या एल.जी. 18/2008-25/लेज. - झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को अनुमत झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 को निम्नोक्त अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा -

JHARKHAND STATE UNAIDED EDUCATIONAL INSTITUTION (GRANT)
AMENDMENT ACT, 2007
[JHARKHAND ACT 04, 2008]

AN ACT to amend Jharkhand State Unaided Educational Institution (Grant) Act, 2004

Be it enacted in the fifty eighth year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement:-

- (i) This Act may be called Jharkhand State Unaided Educational Institution (Grant) (Amendment) Act, 2007.
- (ii) It shall come into force on such date i.e. 5th July, 2004 from which date Jharkhand State Unaided Educational Institution (Grant) Act, 2004 has come into force.
- (iii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

2. Substitution in Section 3 of Jharkhand Act 04, 2004 :-

The following clause in sub-section (c) (iv) of section-3 of the said Act

"The college is registered under section 2 (f) of the university Grants Commission Act 1956 or gets registered as such within two years after receiving the grant"

Shall be substituted by the following provisions, namely:-

"The college is registered under section 2(f) of the university Grants Commission Act 1956 or gets registered as such within four years after receiving the grant."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रालय, राँची, भारत प्रजासत्ताक एवं भारत
झारखण्ड गवट (असाधारण) 197-300-400 राँची, झारखण्ड ।